न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या 22 / 2019
निर्णय दिनांक 31/3/22

1 सीताराम पुत्र स्व. रामगोपाल
2 नानूराम पुत्र स्व.रामगोपाल
3 रामलाल पुत्र स्व.रामगोपाल
समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम ग्वारजाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. धन्नी पत्नि स्व. रामगोपाल (फौत)
4 / 1 शान्ति देवी पुत्री धन्नी पत्नि भूराराम
4 / 2 भूली देवी पुत्री धन्नी पत्नि जयराम
समस्त जाति जाट निवासीयान ढाणी दौसावाली, ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4 / 3 कमली पुत्री धन्नी पत्नि भगवान सहाय, जाति जाट निवासी ग्राम बदनपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4 / 4 कैलाशी देवी पुत्री धन्नी पत्नि जगदीश,
4 / 5 जमना देवी पुत्री धन्नी पत्नि प्रहलाद
समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम बासडी जोगियान, नोहरावाली ढाणी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
2. मोहरी देवी पत्नि स्व. श्रीकिशन जाति जाट निवासी ग्वारजाटान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. संतोष देवी पुत्री स्व. श्रीकिशन पत्नि रामचन्द्र जाति जाट, निवासी ग्राम दहमीकंला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. विमला देवी पुत्री स्व. श्रीकिशन पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट, निवासी ग्राम कडवों का वास तहसील दूदू, जिला जयपुर।
5. नवलकिशोर पुत्र श्रीनारायण
6. रामलाल पुत्र श्रीनारायण
7. रंगलाल पुत्र श्रीनारायण
8. प्रभाती पत्नि श्रीनारायण
समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम ग्वारजाटान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत की धारा 136 के भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम ग्वारजाटान तहसील सांगानेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण के पिता रामगोपाल पुत्र लाला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के दिन दर्ज थे। तत्कालीन खतौनी बंदोबस्त संवत 2004–2013

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

मौजा ग्वारंजाटान तत्कालीन तहसील चाकसू (हाल तहसील सांगानेर) के खसरा नंबर 317 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार रामगोपाल वल्द लाला राहिन, मांगीलाल, रूघनाथ पिसरान मोटा मुर्तहीन अहकाम जाट साहिन देह थे। प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की भूमि में मुर्तहीन मांगीलाल, रूघनाथ पिसरान मोटा तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थीगण का इन्द्राज विगत 60–65 वर्षो से गलत रूप से चले आनें के कारण उक्त मुर्तहीन मांगीलाल, रूघनाथ पिसरान मोटा की फौती पर गलत रूप से विरासत का नामान्तकरण जयराम के वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज हो गया जबकि मुर्तहीन के नाम विरासत नामान्तकरण खुलने का कानून कोई प्रावधान नहीं हैं। दौराने भू प्रबंध आराजी खसरा नं 317 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नं 417 रकबा 0.39 हैक्टेयर बना हैं। प्रार्थीगण के पिता खातेदार रामगोपाल पुत्र लाला का स्वर्गवास हो जाने के कारण जरिये विरासत प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज है।विवादित भूमि बाबत तत्कालीन जयपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने से पूर्व 20 वर्षो पश्चात रहन मुक्त हो गई। इस प्रकार राहिन मुर्तहीन का इन्द्राज कानून कोई महत्व नहीं हैं।राज्य सरकार द्वारा भी रहन भूमि से रहन का इन्द्राज हटाने बाबत दिशा निर्देश जारी किये हैं। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के कारकुनान द्वारा उक्त इन्द्राज को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के प्रभाव के कारण नहीं हटा सके।प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त कारण से उक्त आराजीयात खसरा नंबर 317रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नं 417 रकबा 0.39 हैक्टेयर में रहन का इन्द्राज हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 13.5.2019 को अप्रार्थी सं0 1 का तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुआ। दिनांक 27.05.2019 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 2 श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल की मृत्यु प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुकी है, अप्रार्थी संख्या 2 श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल का नाम पत्रावली से हटाया जाकर उसके वारिसान को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के रूप में संयोजित किया जावें एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 का क्रम अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के रूप में संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया गया एवं संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करने के आदेश दिये गये। दिनांक 20.08.2019 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी संख्या 4 धन्नी पत्नि रामगोपाल की मृत्यु हो चुकी है उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावें। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 4 [illegible] रामगोपाल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 27.8.20[illegible] को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा संशोधित उनवान एवं [illegible] ए.डी. नोटिस पेश किये गये। दिनांक 10.12.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 5 ल[illegible]त 7 की ओर से श्री हरलाल सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 29.01.2020 को प्रकरण संख्या 22/2019 एवं प्रकरण संख्या 23/2019 का सम्मिलित में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। दिनांक 17.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

08.2021 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये। दिनांक 24.08.2021 को अप्रार्थीगण के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुए उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु निवेदन किया गया बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र की प्रति पेश एवं पैरोकार सरकार ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र को विधि अनुसार स्थापित नियम एवं न्याय प्रक्रिया की पालना करते हुए दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया कि खतौनी बंदोबस्त मौजा ग्वारजाटान संवत 2004 से 2023 के अनुसार खसरा न0 317 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में रामगोपाल वल्द लाला राहिन मांगीलाल व रूघनाथ पि. मोटा मुर्तहीन अहकाम जाट सा0 देह लिखा है, मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त भूमि के नये खसरा न0 417 रकबा 0.39 हैक्टेयर बने है। जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में उक्त खसरा न0 417 रकबा 0.39 हैक्टेयरमें भी सीताराम, नानूराम, रामलाल पि. रामगोपाल, धन्नी बेवा रामंगोपाल जाति जाट हि.ब. राहिन श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल व नवलकिशोर, रामलाल, रंगलाल पि. श्रीनारायण व प्रभाती बेवा श्रीनारायण जाति जाट सा.देह मुर्तहीन अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता तत्पश्चात प्रार्थीगण के नाम दर्ज रही है एवं अप्रार्थीगण के पिता तत्पश्चात अप्रार्थीगण बतौर मूर्तहीन रिकार्ड में दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा जारी रहन भूमि से रहन का इन्द्राज हटाने बाबत् दिशा निर्देशों के साथ एक परिपत्र जारी किया गया है कि ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जाकर दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए तलब किया जाकर इन्द्राज को हटाने के संबंध में निर्णय किये गये है।

उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजी साक्ष्य एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम ग्वारजाटान तह0 सांगानेर में स्थित खसरा न0 417 रकबा 0.39 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में राहिन मुर्तहीन का अंकन निरस्त कर दुरूस्त किया जाता है तथा श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल व नवलकिशोर, रामलाल, रंगलाल पि. श्रीनारायण व प्रभाती बेवा श्रीनारायण सा.देह मुर्तहीन को हटाये जाने के आदेश दिये जाते है, उक्त अनुसार रिकार्ड में अंकन किया जावें एवं उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31/8/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर